



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

2025:RJ-JD:37949

S.B. Criminal Miscellaneous III Bail Application No. 5303/2025

Madanlal S/o Pratapram, Aged About 40 Years, R/o Oran Ki
Dhani Ladoli, P.s. Parbatsar, Dist. Deedwana-Kuchaman.
(Lodged In Jail, Parbatsar)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Praveen Vyas
For Respondent(s)	:	Mr. Hanuman Prajapati, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

26/08/2025

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह तृतीय आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना परबतसर, जिला डीडवाना-कुचामन में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 173/2024, अपराध अन्तर्गत धारा 333, 115(2), 109 भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत हुआ है।
2. मैंने बहस जमानत आवेदन पत्र सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि इस मामले में आहत गट्टूदेवी के बयान बतौर गवाह पी.डब्ल्यू.5 हो चुके हैं। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा गवाह को बरगलाने का अंदेशा नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 06.09.2024 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः इस आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।
4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त तृतीय जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त का तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।
5. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। आहत गट्टूदेवी के बयान का अवलोकन किया गया। बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई



टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त के तृतीय जमानत आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त **मदनलाल पुत्र प्रतापराम**, उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J